निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1935 (शo)

(सं0 पटना 522) पटना, वृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2013

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

9 मई 2013

सं0 22/नि0सि0(सम0)–02–11/2011/551—श्री दिनेश राय, सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0–2, झंझारपुर के पदस्थापन काल में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर के परिक्षेत्राधीन बाढ़ 2010 के पूर्व उक्त प्रमण्डलाधीन (बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0–2, झंझारपुर) एजेण्डा सं0–101/406, 101/408 एवं 101/409–410 (कुल तीन अद्द) के तहत कराये गये कटाव निरोधक कार्यो की भौतिक जांच विभागीय उड़न्दस्ता दल से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि एजेण्डा सं0–101/406 एवं 101/409–410 के तहत सम्पादित परक्यूपाईन लेईग का कार्य में निर्धारित साइज के nut Bolt की जगह लोहे के तार का उपयोग किया गया, जिसके कारण परक्यूपाईन के लेइंग गिरकर क्षतिगस्त हो गये। अतः विशिष्टि के अनुरूप कार्य न कराये जाने के कारण संपादित कार्य क्षतिग्रस्त हुए एवं सरकारी राजस्व की क्षति हुई, जिसके लिए श्री दिनेश राय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0–2, झंझारपुर को प्रथम द्रष्टया दोषी पाते हुए विभागीय पत्रांक 768 दिनांक 11.7.12 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री राय से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य पाये गयेः–

(1) एजेण्डा सं0–101/406, 101/409 एवं 101/410 में कटाव निरोधक कार्य वर्ष 2010 बाढ़ पूर्व सम्पादित कराये गये जबकि उड़नदस्ता द्वारा जांच बाढ़ 2011 के पूर्व दिनांक 30.5.11 से 2.6.11 की अवधि में सम्पादित किया गया।

(2) Porcupine लेइंग कार्यो की जांच में अधिकांश Porcupine लेइंग में नट बोल्ट के स्थान पर तार बांधे हुए पाये गये। कई स्थलों पर Porcupine तार खुलने के कारण गिरे हुए पाये गये।

(3) संबंधित कार्यपालक अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता द्वारा Porcupine लेइंग कार्य विशिष्टि एवं मानक गुणवत्ता के अनुरूप ससमय कराया जाना बताया गया है। साक्ष्य के रूप में अद्यतन स्थिति से संबंधित फोटोग्राफ संलग्न किया गया है।

(4) संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि Porcupine लेइंग कार्य विशिष्टि एवं गुणवत्ता के अनुरूप कराया गया जिसकी पुष्टि कार्य का प्रभावकारी पाया जाना तथा बाढ़ 2010 में नदी का वहॉ से दूर हो जाने से स्वयं हो जाती है।

(5) अध्यक्ष, विशेष जांच दल द्वारा भी स्थल निरीक्षण के दौरान कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं पाते हुए कार्य को संतोषप्रद बताया गया।

(6) कार्य समाप्ति के उपरान्त एवं बाढ़ अवधि के पश्चात कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा निजी स्वार्थ में जलावन के लिए झाँखी चुराने के साथ–साथ कुछ Porcupine लेइंग में लगे नट बोल्ट को भी खोल लिया गया जिन्हें पुनः बी0 ए0 वायर से बांधकर सुरक्षित कराया गया। फलस्वरूप यह कटाव निरोधक कार्य बाढ़ वर्ष 2011 में भी सुरक्षित एवं प्रभावकारी रूप से कार्यरत रहा। उक्त तथ्य की सम्पुष्टि संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा भी की गयी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि असामाजिक तत्वों द्वारा Porcupine लेइंग में लगे नट बोल्ट को खोल लिये जाने की स्थिति में क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा FIR अथवा सनहा दर्ज कराया जाना अपेक्षित था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया। साथ ही कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व कार्य सम्पादन की अवधि में तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त कुल तीन stages का सुस्पष्ट फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराते ताकि वास्तविक स्थिति का सही आकलन किया जाना संभव हो पाता।

इस प्रकार श्री राय के विरूद्व परकोपाईन लेइंग कार्य में नट बोल्ट के स्थान पर तार बांधे जाने का आरोप प्रमाणित होता है। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राय को निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है:–

(1) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री दिनेश राय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0–2, झंझारपुर को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है।

(1) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 522-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in